



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6345/ 2007

राज कुमार केडिया

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं एक अन्य

एवं

(संबद्ध मामले अर्थात रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6319/2007; रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6872/2007 एवं रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6874/2007)

निर्णय

निर्णय हेतु दिनांक 11.04.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6345/ 2007

याचिकाकर्ता : राज कुमार केडिया, पिता बजरंग लाल केडिया, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी विद्या नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, द्वारा मुख्तारनामा धारक, श्री टी.पी. चंदेल, पिता श्री सी.पी. चंदेल, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी क्रांति नगर, बिलासपुर।

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा पुलिस अधीक्षक, जबलपुर, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़ क्षेत्र)
2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसईसीएल, सीपत रोड, बिलासपुर।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6319/ 2007

याचिकाकर्ता : राजेंद्र कुमार अग्रवाल, पिता सत्यनारायण अग्रवाल, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी दर्री रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़, द्वारा मुख्तारनामा धारक श्री टी.पी. चंदेल, पिता श्री सी.पी. चंदेल, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी क्रांति नगर, बिलासपुर (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादीगण : 1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा पुलिस अधीक्षक, जबलपुर, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़ क्षेत्र)
2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसईसीएल, सीपत रोड, बिलासपुर।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6872/ 2007

याचिकाकर्ता : रेखा गर्ग, पति श्री सुशील अग्रवाल, आयु लगभग 32 वर्ष, द्वारा मुख्तारनामा धारक सुशील कुमार अग्रवाल, पिता श्री किशोरी लाल अग्रवाल, निवासी दर्री रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़।





बनाम

- उत्तरवादीगण** : 1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा पुलिस अधीक्षक, जबलपुर, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़ क्षेत्र)
2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसईसीएल, सीपत रोड, बिलासपुर।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6874/ 2007

- याचिकाकर्ता** : मांगेराम अग्रवाल, पिता स्व. श्री एम.सी. अग्रवाल, आयु लगभग 85 वर्ष, निवासी कोरबा, द्वारा मुख्तारनामा धारक श्री साधु राम अग्रवाल, निवासी टी.पी. नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़।

बनाम

- उत्तरवादीगण** : 1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा पुलिस अधीक्षक, जबलपुर, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़ क्षेत्र)
2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसईसीएल, सीपत रोड, बिलासपुर।

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकायें)

उपस्थिति:

याचिकाकर्तागण के लिए: श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री बी.पी. शर्मा एवं श्री एन.के. मेहता, अधिवक्ता।

सीबीआई/उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए: श्रीमती फौजिया मिर्जा, सहायक सॉलिसिटर जनरल।

एसईसीएल/उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए: डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री शैलेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता।



निर्णय

11.04.2011

(1) याचिकाकर्तागण परिवहनकर्ता हैं। उन्हें प्रकरण क्रमांक 3/2007 (सीबीआई बनाम एम.सी. घोष एवं अन्य) में अभियुक्त बनाया गया है, जो विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर के न्यायालय में लंबित है। याचिकाकर्तागण ने ये याचिकाएँ सीबीआई द्वारा दिनांक 28.06.2007 को प्रस्तुत अभियोग-पत्र क्रमांक 9 (जो उपर्युक्त प्रकरण का विषय है) को, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक आर.सी.-4(ए) 2004/सीबीआई/जेबीआर दिनांक 31.03.2004 के अंतर्गत, अभिखण्डित किए जाने हेतु प्रस्तुत की हैं।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

(1) सीबीआई ने याचिकाकर्तागण सहित कुल 35 अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 120-ख, 420, 471 सहपठित धारा 468 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'विशेष अधिनियम') की धारा 13(1)(घ) एवं 13(2) के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर के समक्ष लंबित है। अभियोग-पत्र में अभियुक्तगण को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात्— (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के अधिकारी एवं कर्मचारी; ठेकेदार/परिवहनकर्ता/वाहन स्वामी; तथा परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, जैसे आर.टी.ओ., ए.आर.टी.ओ. तथा संबंधित लिपिक आदि। आरोप यह है कि एस.ई.सी.एल. की संबंधित परियोजनाओं में कोयला परिवहन हेतु लगाए गए वाहन वास्तव में 25 मीट्रिक टन वहन क्षमता के थे, जबकि उनके पंजीयन प्रमाण-पत्रों में उनकी वहन क्षमता 28-30 मीट्रिक टन दर्शाई गई थी, जो कि कूटरचित दस्तावेज थे। इस प्रकार पंजीयन प्रमाण-पत्रों एवं वाहनों से संबंधित अन्य सुसंगत दस्तावेजों में वहन क्षमता बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाए जाने के कारण परिवहनकर्ताओं/ठेकेदारों/वाहन स्वामियों द्वारा अत्यधिक राशि का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया गया। संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 43 के अनुसार, कोयले की लोडिंग केवल पंजीकृत वहन क्षमता तक ही की जानी थी तथा इसकी जाँच प्रत्येक यात्रा के आधार पर की जानी थी। पंजीकृत वहन क्षमता से अधिक मात्रा में लोड किए गए कोयले के लिए परिवहन शुल्क देय नहीं था और इसे दंड के रूप में माना जाना था। सीबीआई को स्रोत सूचना प्राप्त हुई कि परिवहनकर्ताओं ने आर.टी.ओ. तथा एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों के साथ मिलीभगत



कर ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें उनकी वहन क्षमता 28-30 मीट्रिक टन अंकित थी, जबकि वास्तविक वहन क्षमता 25 मीट्रिक टन थी, और इस प्रकार परिवहनकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया गया। इस सूचना की सीबीआई द्वारा विवेचना की गई। विवेचना के उपरांत सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँची कि तैनात किए गए वाहनों की वास्तविक वहन क्षमता 25 मीट्रिक टन थी, जबकि उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र 28-30 मीट्रिक टन वहन क्षमता दर्शाते हुए जारी किए गए थे, जो वाहनों के बिक्री प्रमाण-पत्रों में संबंधित प्रविष्टियों में हेर-फेर/कूटरचना कर जारी किए गए थे। यह कार्य अभियुक्तगण की आपसी साठगाँठ अथवा मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। चूँकि उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे, अतः वे पूर्वोक्त भा.दं.सं. की धाराओं तथा विशेष अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी पाए गए सीबीआई ने यह भी पाया कि एस.ई.सी.एल. के कर्मचारियों ने भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से अथवा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर, परिवहनकर्ताओं के साथ मिलकर स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के लिए अत्यधिक आर्थिक लाभ अर्जित किया। यह भी पाया गया कि एस.ई.सी.एल. के कर्मचारियों ने ठेकेदारों एवं परिवहनकर्ताओं के साथ आपराधिक षड्यंत्र किया और धोखाधड़ी एवं बेईमानी से परिवहनकर्ताओं को, उनके पंजीयन प्रमाण-पत्रों में दर्शाई गई बड़ी हुई वहन क्षमता के आधार पर, प्रति वाहन प्रति यात्रा 28-30 मीट्रिक टन की दर से कोयला परिवहन के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान प्राप्त कराने में सहायता की, जबकि वाहनों की वास्तविक वहन क्षमता 25 मीट्रिक टन थी। सीबीआई ने यह भी पाया कि ठेकेदारों एवं परिवहनकर्ताओं ने बेईमानीपूर्वक वाहनों के कूटरचित बिक्री पत्र तैयार कराए, जिनमें अधिक वहन क्षमता दर्शाई गई थी, और उन्हें आर.टी.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित आर.टी.ओ. से आर.सी. पुस्तिकाएँ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, जिनमें वहन क्षमता 28-30 मीट्रिक टन दर्शाई गई थी। तत्पश्चात, ठेकेदारों ने संविदा की धारा 43 से बचने तथा एस.ई.सी.एल. से अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ये आर.सी. पुस्तिकाएँ एस.ई.सी.एल. के समक्ष प्रस्तुत कीं। सीबीआई ने आगे यह भी पाया कि आर.टी.ओ. अधिकारियों ने यह जानते हुए कि 10-चक्का ट्रक की सकल वहन क्षमता 25 मीट्रिक टन होती है, उन वाहनों का पंजीयन 28-30 मीट्रिक टन सकल वहन क्षमता दर्शाते हुए किया। अतः सभी अभियुक्त अभियोजन के लिए उत्तरदायी पाए गए।

(II) दिनांक 24.09.2001 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.), बिलासपुर ने वाहन स्वामियों को एक ज्ञापन जारी किया (रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6345/2007 के पृष्ठ 72



पर संलग्न), जिसमें यह उल्लेख किया गया कि संबंधित वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्रों में आर.एल.डब्ल्यू. 28,000 किलोग्राम गलत रूप से अंकित किया गया है, जबकि वास्तव में वह 25,000 किलोग्राम है। अतः आवश्यक संशोधन हेतु सभी दस्तावेज, जैसे पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट आदि, उनके कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएँ। इस आदेश को दो वाहन स्वामियों द्वारा (जिनमें से एक वर्तमान याचिकाकर्ता है) रिट याचिका क्रमांक 2486/2001 में चुनौती दी गई। उक्त रिट याचिका में दिनांक 08.12.2001 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत यह निर्देश दिया गया कि आगामी आदेश तक आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2001 स्थगित रहेगा तथा याचिकाकर्तागण को अपने वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, यह रिट याचिका तथा इससे संबद्ध अनेक अन्य रिट याचिकाएँ, रिट याचिका क्रमांक 944/2006 एवं संबंधित रिट याचिकाओं में दिनांक 06.07.2006 को पारित आदेश के अनुसार, निरस्त कर दी गईं। ये रिट याचिकाएँ इस आधार पर दायर की गई थीं कि संबंधित आर.टी.ओ. द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त आदेश पारित कर दिया गया। इन याचिकाओं को इस आधार पर निरस्त किया गया कि यह सभी का समान प्रकरण था कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रारंभ में निर्धारित अधिकतम सकल वाहन भार, मोटर यान अधिनियम की धारा 58(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिकतम सकल वाहन भार से अधिक था। यदि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, तो केवल इस आधार पर कि पंजीयन प्रमाण-पत्रों में अधिकतम सकल वाहन भार में संशोधन करने से पूर्व याचिकाकर्तागण को पूर्व-निर्णयात्मक नोटिस जारी नहीं किए गए थे, ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

(III) पूर्वोक्त समस्त घटनाक्रम के पश्चात ही सीबीआई उक्त निष्कर्ष पर पहुँची और मुख्यतः ऊपर उल्लिखित आधारों पर 35 अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया।

(3) रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6345/2007 में याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता/क्रेता/परिवहनकर्ता निर्दोष हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वाहनों की वास्तविक वहन क्षमता 25 मीट्रिक टन थी। उन्होंने वितरकों द्वारा जारी बिक्री प्रमाण-पत्रों पर विश्वास किया, जिनमें वाहनों की वहन क्षमता 28-30 मीट्रिक टन दर्शाई गई थी। उसी के अनुसार बिक्री प्रमाण-पत्र संबंधित आर.टी.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किए गए और 28-30 मीट्रिक टन वहन क्षमता के पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किए



गए। याचिकाकर्तागण को इस तथ्य की जानकारी पहली बार दिनांक 24.09.2001 को हुई, जब आर.टी.ओ. द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया। इसके पश्चात रिट याचिका दायर की गई और दिनांक 08.12.2001 के अंतरिम आदेश के आधार पर वाहन चलाए जाते रहे। यह याचिकाकर्तागण की सद्भावना को दर्शाता है। अतः दुर्भावना/आपराधिक मनः स्थिति के अभाव में याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है।

(4) तीनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने तर्क दिया कि पूर्वोक्त अभियोग-पत्र दुर्भावना का परिणाम है। वास्तव में सीबीआई को याचिकाकर्तागण के प्रतिद्वंद्वी समूहों, जो उनके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी हैं, द्वारा उकसाया गया है। याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है। सीबीआई ने जानबूझकर कई अन्य परिवहनकर्ताओं को छोड़ दिया है, जो इस मामले में लगाए गए ऐसे ही अपराधों के अभियुक्त हो सकते थे। उन्होंने मुख्य रूप से **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 सप्ली. (1) एस.सी.सी. 335 तथा मध्यप्रदेश राज्य बनाम शीटला सहाय एवं अन्य, (2009) 8 एस.सी.सी. 617 (अनुच्छेद 52 एवं 53)** के निर्णयों का अवलंब लिया।

(5) इसके विपरीत, सीबीआई की ओर से उपस्थित सहायक सॉलिसिटर जनरल श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा ने इन तर्कों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि वितरकों के कर्मचारियों के कथनों के अनुसार, क्रेताओं को 28-30 मीट्रिक टन वहन क्षमता दर्शाते हुए कोई बिक्री प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने उनके कथनों के उस अंश की ओर संकेत किया, जिसमें यह कहा गया है कि बिक्री प्रमाण-पत्र एक निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में जारी किए जाते हैं और तीसरी प्रति, जो वितरकों के पास कार्यालय अभिलेख के रूप में रखी जाती है, उसमें केवल 25 मीट्रिक टन वहन क्षमता का ही उल्लेख रहता है। वितरकों के पास सुरक्षित इन कार्यालय प्रतियों का, पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए बिक्री प्रमाण-पत्रों से मेल नहीं खाना यह दर्शाता है कि बिक्री प्रमाण-पत्र कूटरचित थे और वाहनों की बढ़ी हुई वहन क्षमता दर्शाते हुए पंजीयन प्रमाण-पत्र इस उद्देश्य से प्राप्त किए गए थे कि संबंधित वाहनों की बढ़ी हुई वहन क्षमता के अनुसार अवैध रूप से परिवहन शुल्क अर्जित किया जा सके। इन साक्षियों के मौखिक कथनों के अतिरिक्त, उन्होंने इस संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया।



(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट याचिकाओं के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) भजन लाल (पूर्वोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि किसी दांडिक कार्यवाही को अभिखण्डित करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयम एवं सावधानी के साथ तथा केवल विरल से विरलतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। असाधारण अथवा अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को मनमानी अथवा स्वेच्छाचारी ढंग से कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं करतीं। न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में किए गए आरोपों की विश्वसनीयता, सत्यता अथवा अन्यथा के संबंध में जाँच-पड़ताल करने में प्रवृत्त होने के लिए उचित नहीं होगा। आगे यह भी कहा गया कि निम्नलिखित श्रेणियों के मामले उदाहरण स्वरूप बताए जा सकते हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित असाधारण/अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है— या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए— यद्यपि ऐसे मामलों के संबंध में कोई उपयुक्त, स्पष्ट रूप से परिभाषित, पूर्णतः चैनलाइज़्ड एवं कठोर दिशा-निर्देश अथवा अनम्य सूत्र निर्धारित करना अथवा ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की एक संपूर्ण सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में किए गए आरोप, यदि उन्हें उनके प्रथम दृष्टया रूप में स्वीकार कर लिया जाए और पूर्णतः सत्य मान लिया जाए, तब भी वे किसी अपराध का गठन नहीं करते अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला प्रथमदृष्टया स्थापित नहीं करते।

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न अन्य साक्ष्य (यदि कोई हो) से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना करना उचित ठहराया जा सके, सिवाय इसके कि धारा 155(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन जाँच की जाए।

(3) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में किए गए निर्विवाद आरोप तथा उनके समर्थन में संकलित साक्ष्य किसी भी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला स्थापित नहीं करते।



(4) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हों, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचना करने की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में किए गए आरोप इतने असंगत, हास्यास्पद अथवा स्वभावतः असंभव हों कि उनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

(6) जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता अथवा उस संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत दांडिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही की स्थापना एवं निरंतरता पर स्पष्ट विधिक प्रतिबंध निहित हो और/या जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता अथवा संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण हेतु कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया हो।

(7) जहाँ कोई दांडिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या जहाँ कार्यवाही किसी निजी अथवा व्यक्तिगत रंजिश के कारण अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा उसे नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से, किसी परोक्ष अथवा अवैध मंशा के साथ दुर्भावनापूर्वक प्रारंभ की गई हो।

(8) शीतला सहाय (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, श्री शर्मा द्वारा उद्धृत किए गए दो अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 52 एवं 53, निम्नानुसार उद्धृत किए जाते हैं :-

“52. इस मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रमाणिक मूल्य की जाँच नहीं की गई है। इस स्तर पर अभिलेख पर लाई गई साक्ष्य को सत्य मानकर स्वीकार किया गया है। यह सही है कि इस चरण पर अभियुक्त के बचाव पर भी विचार नहीं किया जा सकता। किंतु हम स्वयं को श्री तुलसी की इस तर्क से सहमत करने में असमर्थ हैं कि जहाँ विवेचना के दौरान संकलित समस्त साक्ष्य अभियोग-पत्र के हिस्से के रूप में न्यायालय के समक्ष रख दी गई हो, वहाँ आरोप निर्धारण के समय न्यायालय केवल उन्हीं साक्ष्यों पर दृष्टि डाले जिन पर अभियोजन निर्भर करना चाहता है और उन साक्ष्यों की उपेक्षा कर दे जो अभियुक्त के पक्ष में हों।



53. यह प्रश्न कि न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं कि अभिलेख पर लाई गई साक्ष्य, भले ही उसे उसके वास्तविकता पर स्वीकार कर लिया जाए और पूर्णतः सही माना जाए, किसी अपराध के किए जाने का खुलासा करती है या नहीं— इसका निर्धारण अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गई समस्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, न कि उसके किसी एक भाग के आधार पर। यदि ऐसा न किया जाए, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (5) निरर्थक हो जाएगी।”

(9) उपर्युक्त उद्धृत मामलों तथा तर्क के दौरान पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित अन्य अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, सर्वप्रथम यह परीक्षण करना आवश्यक है कि अभियोग-पत्र में ऐसी कौन-सी साक्ष्य उपलब्ध है, जिसे यदि उसके वास्तविकता पर तथा संपूर्णता में स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या वह याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करती है।

(10) श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा ने वितरकों के प्रतिनिधियों/कर्मचारियों के कथनों का उल्लेख किया है। श्री एस.एस. बिष्ट, एम/एस शिवन मोटर्स के महाप्रबंधक हैं। उन्होंने वाहन विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में कथन दिया है। उन्होंने कहा कि जिन 26 वाहनों के बिक्री पत्र उन्हें दिखाए गए थे, वे उनकी कंपनी द्वारा जारी नहीं किए गए थे, क्योंकि उन बिक्री पत्रों पर अंकित हस्ताक्षर, पता तथा सकल वाहन भार उनकी कंपनी के अभिलेखों में उपलब्ध बिक्री पत्रों की कार्यालय प्रतियों से मेल नहीं खाते थे और न ही जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर उनके किसी कर्मचारी/स्टाफ के थे। उन्होंने अपने कथन के अंतिम कंडिका में विशेष रूप से यह कहा : “पूछे जाने पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पास मुद्रित बिक्री पत्र प्रपत्र उपलब्ध हैं, जिन पर कंपनी का नाम एवं पता, दूरभाष क्रमांक, छत्तीसगढ़ राज्य बिक्री कर एवं केंद्रीय बिक्री कर क्रमांक आदि अंकित रहते हैं। अन्य जानकारियाँ वाहन की बिक्री के समय मोटर यान अधिनियम के नियम 47 (क एवं ख) के अंतर्गत फॉर्म-21 के प्रारूप के अनुसार बिक्री पत्र में भरी जाती हैं। जब तक ये जानकारियाँ निर्धारित बिक्री पत्र में भरी न जाएँ और वितरक द्वारा हस्ताक्षरित न हों, तब तक कंपनी में उपलब्ध बिक्री पत्र का मुद्रित प्रारूप कोई मूल्य नहीं रखता। चूँकि पूर्वोक्त उल्लिखित वाहनों के जो बिक्री पत्र पंजीयन हेतु आर.टी.ओ. में प्रस्तुत



किए गए हैं, वे हमारे अभिलेखों से मेल नहीं खाते, इसलिए मेरी दृष्टि में ये बिक्री पत्र कूटरचित हैं और संभवतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए हैं। आगे मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि टाटा एल.पी.के. टिपर की सकल वाहन भार क्षमता 25 मीट्रिक टन है तथा इस वाहन का टैयर वजन लगभग 9.5 मीट्रिक टन है।”

(11) लगभग इसी प्रकार के कथनों की पुष्टि श्रीमती संध्या दीक्षित, श्री पॉल थॉमस और इसी श्रेणी के अन्य कई साक्षियों के कथनों में भी मिलती है। उपरोक्त साक्षियों के कथनों के आधार पर, प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु पंजीयन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए बिक्री पत्र वास्तव में वे बिक्री पत्र नहीं थे जो वितरकों द्वारा जारी किए गए थे। वितरक अपने अभिलेख में प्रत्येक बिक्री पत्र की तीन प्रतियाँ रखते हैं और वितरक के अभिलेखों में रखी तीन प्रति की साक्ष्य, क्रेताओं द्वारा पंजीयन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत बिक्री पत्रों की साक्ष्य से भिन्न थी। चूँकि क्रेता इस मामले में लाभार्थी होते हैं और दस्तावेज उनके पास से पंजीयन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, अतः प्रथमदृष्टया ये कूटरचित दस्तावेज माने जा सकते हैं, जैसा कि सीबीआई ने उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर तर्क किया। इस प्रकार संबंधित वाहनों के क्रेताओं के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

12) श्री शर्मा ने तर्क दिया कि शीतला सहाय (पूर्वोक्त) के मामले के अनुसार, अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य को देखा जाना चाहिए। उन्होंने रिट याचिका क्रमांक 2738/2004 में वितरक द्वारा प्रस्तुत जवाब का उल्लेख किया। उक्त जवाब के अनुच्छेद 7 में, वितरक ने स्वीकार किया कि बिक्री प्रमाण-पत्र में वाहनों का सकल वजन गलत अंकित किया गया था और जैसे ही यह त्रुटि वितरक के संज्ञान में आई, वितरक ने दिनांक 05.09.2001 को एक पत्र लिखा कि सही वजन 25,000 किलोग्राम था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आर.टी.ओ., बिलासपुर के दिनांक 30.08.2000 के पत्र (उक्त रिट याचिका में अनुलग्नक-पी/2) द्वारा इंगित त्रुटि अनजाने में बिक्री पत्र में प्रवेश कर गई थी। श्री शर्मा ने तर्क दिया कि यह दर्शाता है कि त्रुटि वितरकों की ओर से हुई थी, न कि क्रेताओं की, विशेषकर उस याचिकाकर्ता की, जो रिट याचिका क्रमांक 2738/2004 में था, जिसमें वितरक (उत्तरवादी क्रमांक 7) द्वारा उपर्युक्त जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार की किसी रिट याचिका में किसी विशेष वितरक का बचाव हो सकता है, किंतु इससे उन कई साक्षियों के कथनों को निरस्त नहीं किया जा सकता, जो उस



समय वितरकों के कर्मचारी थे और जिन्होंने कहा कि पंजीयन के लिए प्रस्तुत बिक्री पत्र वितरकों द्वारा रखी गई तीन प्रतियों से मेल नहीं खाते थे। शीतला सहाय (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 54 में यह प्रतिपादित किया कि अभियोजन, अभियुक्त के निष्पक्ष विवेचना, निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष विचारण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिपादित है), किसी भी चरण में उस साक्ष्य का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसे अभियोजन ने स्वयं अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। यदि अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो आरोप निर्धारित किए जा सकते हैं; किंतु यदि केवल एक ही दृष्टिकोण संभव है, तो न्यायालय अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए परेशान नहीं करेगा। यह निर्णय **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा, (1996) 4 एससीसी 659** के संदर्भ में दिया गया था।

(13) यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करें और मान लें कि दो दृष्टिकोण संभव हैं—एक कि बिक्री पत्रों को क्रेताओं द्वारा कूटरचित किया गया और दूसरा कि बिक्री पत्र क्रेताओं द्वारा कूटरचित नहीं थे और उन्हें वितरकों द्वारा गलत बिक्री पत्र जारी किए गए—तो उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार, याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग-पत्र को अभिखण्डित नहीं किया जा सकता।

(14) श्री बी.पी. शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि अभियोग-पत्र सीबीआई द्वारा प्रेरित, अन्यायपूर्ण, पक्षपाती और दुर्भावनापूर्ण जाँच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने याचिकाकर्तागण के प्रतिद्वंद्वी व्यावसायिक समूह के निर्देश पर दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्यवाही की क्योंकि कई समान स्थिति वाले परिवहनकर्ताओं को छोड़ दिया गया और केवल याचिकाकर्तागण के खिलाफ कार्यवाही की गई। हालांकि ऐसे तर्क प्रस्तुत किए गए और उनके समर्थन में तर्क भी दिये गये, परंतु ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिनके आधार पर उक्त तर्कों को स्वीकार किया जा सके। **बिहार राज्य और एक अन्य बनाम श्री पी.पी. शर्मा और एक अन्य, एआईआर 1991एससी1260** के मामले में यह कहा गया कि सूचना देने वाले और विवेचना अधिकारी के विरुद्ध केवल दुर्भावना का आरोप, दांडिक कार्यवाही को अभिखण्डित करने का आधार नहीं बन सकता। विवेचना के दौरान यदि विवेचना अधिकारी कुछ दस्तावेजों



को असंगत मानकर बाहर रखता है, तो इसे दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही मानने का आधार नहीं माना जा सकता। श्री शर्मा ने कुछ दस्तावेजों का अवलंब लेने का प्रयास किया, जो यद्यपि रिट याचिकाओं में अनुलग्नक हैं, परंतु अभियोग-पत्र का हिस्सा नहीं हैं। पी.पी. शर्मा (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनुलग्नकों और शपथ-पत्रों को साक्ष्य मानकर और स्वयं को विचारण न्यायालय में परिवर्तित करके उच्च न्यायालय अभियुक्त को निर्दोष घोषित नहीं कर सकता और कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय विवेचना और विचारण की कार्यवाही को समाप्त करने का अधिकार नहीं रखता। याचिकाकर्तागण ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अभियोग-पत्र का कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे दुर्भावना सिद्ध हो। मैंने याचिकाकर्तागण के मामले का विश्लेषण वितरक द्वारा पूर्व रिट याचिका में प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में किया, लेकिन शीतला सहाय (पूर्वोक्त) के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में, मैंने उक्त तर्कों को पहले ही खारिज कर दिया है। मेरा मत है कि अभियोग-पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि यह कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है या किसी निजी शत्रुता/प्रतिशोध के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण ढंग से शुरू की गई है। श्री शर्मा ने तर्क दिया कि अन्य समान स्थिति वाले परिवहनकर्ताओं को सीबीआई ने छोड़ दिया। यदि ऐसा है, तो यह केवल सीबीआई के लिए उस मामले में जाँच करने का आधार हो सकता है, परंतु इससे उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग-पत्र को निरस्त करने का आधार नहीं बनता, जिनके खिलाफ विवेचना के दौरान पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य संकलित की गई है। इसे यह दिखाने के लिए भी आधार नहीं माना जा सकता कि अभियोग-पत्र और जाँच दुर्भावनापूर्ण थी।

(15) श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा ने तर्क किया कि जब आर.टी.ओ. द्वारा याचिकाकर्तागण को पंजीयन प्रमाण-पत्रों में प्रविष्टियों को सुधारने का निर्देश दिया गया, तब याचिकाकर्तागण ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने वाहनों की बढ़ी हुई वहन क्षमता के आधार पर कोयला परिवहन जारी रखा। यह याचिकाकर्तागण की आपराधिक मनः स्थिति को दर्शाता है। श्री सुरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि आर.टी.ओ. के आदेश को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्तागण ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के आधार पर अपना व्यवसाय जारी रखा। इस बात का कोई महत्त्व नहीं कि याचिकाकर्तागण ने इस न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर व्यवसाय किया। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्तागण को उस समय सभी तथ्य ज्ञात हुए, जैसा कि उन्होंने दावा किया, उन्हें तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करनी



चाहिए थी, जिसे उन्होंने नहीं किया। यह उनके सद्भावना को यह दावा करने के लिए प्रमाणित नहीं करता कि उनके पास कोई आपराधिक मनः स्थिति नहीं था। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं ने अभियोग-पत्र में उपलब्ध साक्ष्य और रिट याचिकाओं के साथ प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण कर यह दिखाने का प्रयास किया कि याचिकाकर्तागण का अधिग्रहण संभवतः दोषसिद्धि तक नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि इस चरण पर यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। यह वह चरण नहीं है जहाँ न्यायालय यह तय करे कि अभियोजन का परिणाम दोषसिद्धि होगा या बरी हो जाएगा। इस चरण पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है, जैसा कि भजन लाल के मामले में प्रतिपादित किया गया है। यदि अभियोग-पत्र में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला प्रतीत होता है, तो उनके विरुद्ध दाखिल अभियोग-पत्र को अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं में अभिखण्डित नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही वितरकों के कर्मचारियों के मौखिक साक्ष्य का उल्लेख किया है, जो अभियोग-पत्र के साथ संलग्न अन्य साक्ष्य के साथ मिलकर याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करती है। इस चरण पर उन साक्ष्यों की विश्वसनीयता और वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकती और अभियोग-पत्र में उपलब्ध साक्ष्य के वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक है।

(16) याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि 28-30 मीट्रिक टन वहन क्षमता के आधार पर याचिकाकर्तागण द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि का भुगतान पहले ही एसईसीएल द्वारा वसूल कर लिया गया है। मेरा मत है कि इस प्रकार की अतिरिक्त राशि की वसूली का उल्लेख याचिकाकर्तागण के विरुद्ध शुरू की गई दांडिक अभियोजन में कोई अंतर नहीं लाता। दांडिक अभियोजन किसी विशेष अपराध के किसी विशेष समय पर किए जाने के आधार पर प्रारंभ की गई है। यदि याचिकाकर्तागण के विरुद्ध अपराध के किए जाने का प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो उपरोक्त तरीके से अतिरिक्त राशि की कथित वसूली उनके अभियोग-पत्र को निरस्त करने के दावे को स्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती।

(17) उपरोक्त कारणों से, मेरा यह मत है कि याचिकाकर्तागण के विरुद्ध सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अभियोग-पत्र को उनके द्वारा रिट याचिकाओं में उठाए गए आधारों पर अभिखण्डित नहीं किया जा सकता।



(18) अतः, रिट याचिकाएँ खारिज करने योग्य हैं और इन्हें खारिज किया जाता है।

(19) परिणामस्वरूप, दिनांक 26.10.2007 को दिए गए अंतरिम आदेश भी निरस्त किए जाते हैं।

(20) आदेशानुसार कार्यवाही की जाए।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated ByAniruddha Shrivastava, Advocate